राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमाकः एफ 7(1)(1)पंचा./रा.नि.आ./2019/ 153 दिनांक : 06.01.2020

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।

विषयः–पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 – नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में।

महोदय,

आयोग द्वारा पंचायत आम चुनाव, 2020 में सरपंच एवं पंच पदों के निर्वाचन हेतु चुनाव कार्यक्रम जारी किया जा चुका है, उक्त निर्वाचन के चरणवार कार्यक्रम में निर्धारित तिथियों को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जाएंगे।

उक्त क्रम में पंच/सरपंच के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैंः–

क्र. सं.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	संलग्न दस्तावेजों के संबंध में स्पष्टीकरण
1	2	3
1	नाम निर्देशन पत्र –4	नामनिर्देशन पत्र की सभी प्रविष्टियां भरी जानी है कोई भी कॉलम रिक्त नहीं होना चाहिए।
2	प्ररूप 4 घ	**पूर्ण रूप से भरा जाना आवश्यक है। इसका भी कोई कॉलम रिक्त नहीं होना चाहिए** बिन्दु संख्या 1 – विचाराधीन आपराधिक मामलों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है। बिन्दु संख्या 2– आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धी से संबंधित सूचना प्रस्तुत करनी है। बिन्दु संख्या 3– संतान के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है। बिन्दु संख्या 4–सम्पत्ति के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है। उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 का विवरण अभ्यर्थी की योग्यता/अयोग्यता के निर्धारण के लिए है। किन्तु बिन्दु संख्या 4 में सूचना केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए है इसके आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता/अयोग्यता निर्धारित नहीं होती हैं।
3	उपाबन्ध–I B (केवल सरपंच के पद के लिए)	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों, परिसम्पतियों एवं देयता (Dues) की सूचना प्राप्त किये जाने के लिए भरा जाना है। उक्त प्रारूप 50/– रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non Judicial Stamp Paper) पर नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष सम्यक रूप से प्रमाणित होना चाहिए।
4	घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा पत्र/ अंडरटेकिंग	राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में संशोधन कर इसे लागू किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नाम निर्देशन पत्र के साथ भरकर जमा कराना आवश्यक है। इसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है।
5	नो–ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, कॉलम 3 में अंकित मामलों में ही सिर्फ राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	1. यदि अभ्यर्थी के उपर संबंधित पंचायती राज संस्था की कर/फीस की राशि बकाया हो और उसको राशि जमा कराने का नोटिस दिये जाने की तिथि से 2 माह तक जमा नहीं कराई गई हो तो उसे उक्त राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। 2. चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार जिनके उपर इस प्रकार की कोई राशि बकाया नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का नो–ड्यूज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। 3. यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में किसी पंचायतीराज संस्था का सभापति/उप सभापति रहते हुए पंचायती राज संस्थाओं के बकायों को जमा कराने के संबंध में नोटिस तामील होने के पश्चात्